संख्या-76/2015/3049/92-1-2015-42(अधि0)/2015

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 09 जुलाई, 2015

विषय:- श्री विपिन कुमार सिंह गौर, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बस्ती के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1317/ग्रा0अ0वि0/बजट/चि0प्रति0/बस्ती/2015-16, दिनांक 21-6-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित, 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री विपिन कुमार सिंह गौर, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बस्ती द्वारा दिनांक 26-12-2014 से 09-01-2015 तक प्रदेश के बाहर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में करायी गयी स्वयं की चिकित्सा पर हुए व्यय हुई धनराशि के अनुक्रम में प्रस्तुत रू0-7,46,107.00 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु इंगित की गयी धनराशि रू0-5,94,811.00 (रूपये पॉच लाख चौरान्वे हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त से संबंधित समस्त बिल वाउचर्स एवं अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न हैं। कृपया इस शासनादेश व संलग्न किये जा रहे समस्त संलग्नकों की प्राप्ति सूचना शासन को लौटती डाक से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त से संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, तो स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।"

संलग्नक:-यथोक्त (मूलरूप में)।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-76/2015/3049(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, बस्ती ।
4- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती ।
5- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती
6- श्री विपिन कुमार सिंह गौर, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण्या अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बस्ती द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in